मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम 2010

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

3. बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना (मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम, 2010)

3.1 औद्योगिक रुग्णता के कारण बेरोजगारी, राज्य व केन्द्र सरकार की राजस्व हानि, संस्थागत वित्त में अवरोध एवं अनुत्पादक संपत्ति वृद्धि आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लघु उद्योगों में रुग्णता के मुख्य कारण अप्रचलित तकनीक, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कुप्रबंधन, पूंजी का व्यपवर्तन, उद्यमिता/व्यवसायिकता की कमी, विपणन समस्या आदि चिन्हित किये जा सकते है। औद्योगिक रुग्णता, विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए रुग्णता की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ठोस कदम उठाये जाना राज्य शासन व अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए वांछनीय होते हैं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत शासन द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर-पुनर्वास योग्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु 'सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1985' के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. नामक वैधानिक संस्था स्थापित की गई है, परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं नॉन-बी.आई.एफ.आर. पुनर्वास योग्य बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं प्रतिपादित की गयी है। प्रदेश में पुनर्वास योग्य बीमार लघु उद्योग एवं गैर-बी.आई.एफ.आर. इकाईयों के पुनर्वास के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश लघु श्रेणी उद्योग पुनर्जीवन योजना (MPSSIRS) नामक संशोधित योजना निम्नानुसार लागू की जाती है।

3.2 **शीर्षक (Title)** - यह योजना मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम (MPSSIRS), 2010 कहलायेगी।

3.3 **कार्यरत अवधि (Operation period)** - यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

3.4 **प्रयोज्यता (Applicability)** – यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल सूक्ष्म, लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र), जिनके संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन ₹ 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। विभाग की अनुदान योजनाओं एवं कर मुक्ति की सुविधा के लिये अपात्र औद्योगिक इकाईयां तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यम उक्त योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

3.5 परिभाषाएं (Definitions)

3.5.1 बीमार इकाई (Sick Unit) : कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई 'बीमार' समझी जावेगी यदि वित्तीय वर्ष 2008-09 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :-

(अ) इकाई का कोई भी उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए निम्न स्तर पर बना रहे अर्थात् किसी भी उधारी लेखा के परिप्रेक्ष्य में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओवरड्यू बना रहे। यदि लेखा की वर्तमान स्थिति के निम्न स्तर पर होने की स्थिति में ड्यूकोर्स में कमी भी होती है, तो भी ओवरड्यू अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी।

या

इकाई के नेटवर्थ में क्षरण हुआ हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

(ब) बंद इकाई के मामले में इकाई बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादनरत् रही हो, तथा ऐसी इकाई न्यूनतम लगातार 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो या वणिज्यिक कर का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या अधिकार प्रदत्त समिति जिस कारण को उचित समझे।

(स) लेखों का आशय उन अंकेक्षित लेखों से लिया जाएगा, जिसके संबंध में इकाई द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को सूचित किया गया हो अथवा लेखा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित हो।

3.5.2 नेटवर्थ (NetWorth)

लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय, पेडअप पूंजी तथा फ्री-रिजर्व के योग से है। भागीदारी/स्वामित्व वाली इकाई के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय भागीदारों/स्वामी की कुल पूंजी एवं फ्री-रिजर्व के योग से होगा।

3.5.3 फ्री-रिजर्व्स (Free Reserves)

फ्री-रिजर्व से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों के अंतर्गत, अस्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा कम किये गये घसारा से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

3.5.4 बैंक (Bank)

बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के द्वितीय शेड्यूल अनुसार शेड्यूल्ड बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से है।

3.5.5 वित्तीय संस्था (Financial Institution)

वित्तीय संस्था से आशय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम या अन्य संस्था से है जो औद्योगिक इकाईयों को स्थायी पूंजी हेतु ऋण देने के लिए अधिकृत हैं।

3.5.6 व्यवहार्य बीमार इकाई (Viable sick unit)

व्यवहार्य बीमार इकाई का आशय, उत्पादन क्षेत्र की ऐसी इकाई से है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी में ₹ 5.00 लाख से अधिक पूंजी वेष्ठन हो एवं जो पुनर्वास पैकेज (जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी), योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पुनर्संरचित (Restructured) ऋण एवं ब्याज का पूर्णरूप से भुगतान करने के साथ-साथ राज्य शासन/केन्द्र शासन एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी आदि को देय देनदारी का भी भुगतान, पैकेज की क्रियान्वयन अवधि के भीतर कर सकें।

3.5.7 भुगतान हेतु बकाया राशि (Dues payable)

भुगतान हेतु बकाया वह राशि जो समस्त वैधानिक संस्थाएं जैसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलेक्टर, कस्टम्स व सेन्ट्रल एक्साईज, आयुक्त, आयकर, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी या अन्य संस्थाएं जिसे इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

3.5.8 अप्रैजल एजेंसी (Appraisal Agency)

ऐसी संस्था, जो इकाई, वित्तीय संस्था/बैंक तथा पुन:स्थापन समिति की सहमति पश्चात् बीमार इकाई की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु निर्धारित की जावे। यह संस्था कंडिका 3.8.2 में उल्लेखित अनुसार होगी।

3.5.9 राज्य सरकार (State Government)

इससे आशय मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

3.5.10 विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell)

इससे आशय उद्योग आयुक्त द्वारा योजना के संचालन के उद्देश्य से बनाये गये प्रकोष्ठ विशेष से हैं।

3.5.11 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी

इससे आशय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों से है।

3.5.12 पात्र आस्तियाँ (Eligible Assets)

इससे आशय उन आस्तियों से है, जो पुनर्वास पैकेज के स्वीकृत होने से दो वर्ष के अन्दर निर्मित हो तथा यह एम.पी. एस.एस.आई.आर.एस. द्वारा बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी वैष्ठन की सीमा तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आस्तियाँ, जो उक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त/निर्मित की गई हो और/या भुगतान किया गया हो, विचारणीय नहीं होगी।

3.5.13 पात्र स्थायी पूंजी निवेश (Eligible Fixed Capital Investment)

इससे आशय निम्न परिभाषा के अनुसार भूमि, नवीन भवन, अन्य स्थायी निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश तथा टेक्नीकल नो-हाउ फीस से होगा -

अ. भूमि (Land)

इससे आशय औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यकता अनुरूप भूमि हेतु, पुनर्वास योजना की अवधि में एवं पुनर्वास योजना के भाग के रूप में, विस्तार व आधुनिकीकरण को सम्मिलित कर किन्तु भूमि के विकास पर हुए व्यय को छोड़कर, भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि से है।

ब. नवीन भवन (New Building)

इससे आशय शेष विस्तार व नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त संयंत्र व मशीनरी के व्यवस्थापन के लिए निर्मित अतिरिक्त भवन से है, जो पुनर्वास योजना की अवधि में एवं उसके एक भाग के रूप में निर्मित होगी।

स. अन्य स्थायी निर्माण (Other Permanent Construction)

इससे आशय अन्य निर्माण कार्य जो संयंत्र व मशीनरी की स्थापना हेतु या अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आवश्यक है, से है।

द. **प्लांट एवं मशीनरी (Plant & Machinery)**

इससे आशय नवीन संयंत्र व मशीनरी तथा आयातित पुरानी मशीनरी एवं संयंत्र व मशीनरी के पूंजीगत स्थापना व्यय तथा निर्माणाधीन अवधि के समय पूंजीगत ब्याज, जो कुल स्थायी पूंजी वैष्ठन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, के योग से है।

इ. **टेक्नीकल नो-हाउ फी (Technical Know-how fee)**

इकाई के लिए तकनीकी ज्ञान हेतु दिया गया शुल्क या विदेशी प्रदायकर्ता को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित नीति अनुसार अनुमोदित एक मुश्त शुल्क या राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया शुल्क।

3.6 राहतें (Reliefs)

जिन सूक्ष्म/लघु उद्योग, गैर-बी.आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हों, उन्हें तदनुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

3.6.1 वित्तीय सहायता (Fiscal Reliefs)

योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी।

3.6.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department)

इकाई को वाणिज्यिक कर/प्रवेश कर/वैट की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी। इकाई स्वामी चाहे तो बकाया कर राशि (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के एक मुश्त भी जमा कर सकेगा।

3.6.1.2 मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी

योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी से संबंधित निम्नानुसार राहतें प्रदान की जावेंगी :-

अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार अधिकतम रु. एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा, किंतु ऐसे प्रकरणों में, जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी।

ब. ऐसे प्रकरणों, जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो, में पुनर्संयोजन के लिये नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

स. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।

द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को बकाया राशि पर देय ब्याज अधिकतम रुपये एक लाख की सीमा तक माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज अधिकतम ₹ 25 हजार की सीमा तक माफ किया जाएगा।

ई. इकाई पर मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा लगाये गये पैनल चार्जेज को अधिकतम ₹ 25 हजार की सीमा तक माफ किया जा सकेगा।

उक्त के साथ ही बीमार/बन्द औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने पर विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत सुविधाएं देने के संबंध में लागू नीति अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

3.6.1.3 वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग (Commerce, Industry and Employment Department) -

अ. ऐसी लघु उद्योग इकाई, जिसकी पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई हो, यदि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्म लोन चाहती है तो उसे इस पर मध्यप्रदेश शासन के विद्यमान नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

ब. व्यवहार्य बन्द इकाई को पुनर्वास दिनांक से नवीन इकाई की तरह सुविधायें दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त

पूंजी विनियोजन किया जाता है तो उस पर पात्रतानुसार उद्योग निवेश अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

3.6.1.4 पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं का जारी रहना (Continuation of Incentives sanctioned earlier)

यह योजना उस बीमार इकाई के लिए भी लागू होगी जिसके प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो। पूर्व इकाई को स्वीकृत सुविधाएं शेष पात्रता अवधि हेतु पुनर्जीवित इकाई को भी प्राप्त हो सकेंगी।

3.6.1.5 अतिरिक्त राहत (Additional Relief)

उपरोक्त वित्तीय रियायतों के अतिरिक्त, इस योजना में संबंधित प्राधिकारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें देने की अनुशंसा की जा सकती है:-

अ. पुनर्जीवन योजना लागू करने के फलस्वरूप पंजीकृत किये जाने वाले विभिन्न अनुबंधों पर 'स्टाम्प ड्यूटी' से मुक्ति।

ब. यह योजना सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित की जावेगी।

3.7 अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee)

मध्यप्रदेश शासन इस योजना के अंतर्गत पुनर्जीवन पैकेज स्वीकृत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक अधिकार प्रदत्त समिति का गठन करता है -

1.	**कलेक्टर**	**अध्यक्ष**
2.	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
4.	म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि जो संभागीय यंत्री स्तर से कम न हो	सदस्य
5.	अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक (L.D.M.)	सदस्य
6.	संबंधित बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	सिडबी के प्रतिनिधि (प्रकरण के सिडबी से संबंधित होने पर)	सदस्य
8.	मध्यप्रदेश वित्त निगम के प्रतिनिधि (प्रकरण के वित्त निगम से संबंधित होने पर)	सदस्य
9.	अप्राईजल एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि, जो महाप्रबंधक स्तर से कम न हो	सदस्य
11.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। कोरम की पूर्ति के लिए उपस्थित सदस्य संख्या के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपस्थित होना आवश्यक होगा। यह समिति अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। समिति आवेदन प्राप्त होने से 90 दिवस में निर्णय लेगी। संबंधित आवेदक को निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाएगा।

समिति के सदस्य-सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वे, निश्चित समयावधि में बैठक आयोजित कर निर्णय करावें। यदि निर्णय निश्चित अवधि में न हो सके, तो उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को इस बाबत बैठक की तिथि के 15 दिवस में, स्पष्टीकरण दिया जाए।

3.8 प्रक्रिया (Procedure)

3.8.1 (अ) प्रारंभिक परीक्षण, प्रकरण की पात्रता

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक विवेचना की जाएगी एवं समिति के समक्ष रखे जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण को पंजीबद्ध कर पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 कार्य दिवस में पूरी की जावेगी। आवेदन पत्र का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा।

(ब) सदस्यों के मध्य परिचालन

आवेदन के पंजीकरण के उपरांत समिति के सभी सदस्यों को पूर्ण आवेदन की प्रतियां उनके विभाग के अभिमत हेतु परिभ्रमित की जावेगी। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के अभिमत के साथ समिति की बैठक में उपस्थित होना होगा। सदस्यों को उनके विभाग के मत हेतु 15 दिवस में कार्यवाही करनी होगी। संबंधित सदस्यों के विचार एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर, प्रकरण के पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

3.8.2 अप्रैजल हेतु अधिकृत कंसलटेंट को संदर्भ

आवेदक को अपने आवेदन, जिसमें राज्य शासन से अपेक्षित सहायता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हो, का अप्रैजल आई.डी.बी.आई./सिडबी द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कंसल्टेन्टों या एम.पी. कॉन या मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र से कराना होगा। संबंधित कन्सलटेन्ट से यह स्पष्ट अनुशंसा करानी होगी कि इकाई का पुनर्जीविकरण संभव है अथवा नहीं ? कंसलटेन्ट से प्रतिवेदित योजना/प्रस्ताव आवेदक को अपने आवेदन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य सम्बंधित समस्याओं यथा बैंकों/वित्तीय संस्था आदि से प्राप्त किये जाने वाली सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख/सहमति दर्शायी गयी हो।

3.8.3 आवेदन शुल्क (Application fee) :- ₹ 1,000/- मात्र होगा।

3.8.4 अधिकार प्रदत्त समिति के सदस्यों के मध्य परिचालन (Circulation amongst the members of the Special Cell)

अधिकार प्रदत्त समिति का कार्यालय, अप्रेजल एजेंसी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा एवं निश्चित करेगा कि यह योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही है। तत्पश्चात इस समिति के सदस्यों के मध्य इसका परिचालन किया जाएगा।

3.8.5 संबंधित एजेन्सियों के द्वारा स्वीकृतियां (Sanctions by the concerned agencies)

समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर संबंधित संस्थाएं रियायतों एवं सुविधाओं/परित्यागों पर अपनी सहमति 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान करेंगे। इस समय-सीमा में यदि वे अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें समिति को तदनुसार सूचित करना चाहिये एवं इस हेतु उन्हें राहतें एवं सुविधाएं नहीं देने के संबंध में सशक्त कारण देने होंगे।

अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय राज्य शासन के सभी विभागों पर बंधनकारी होगा फिर भी यदि कोई विभाग किसी निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहे तो उसे तदाशय का प्रस्ताव सीधे वाणिज्य, उद्योग और रोज़गार विभाग, भोपाल के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

3.8.6 म.प्र. लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना अंतर्गत स्वीकृति (Sanction under MPSSIRS)

उपरोक्त 30 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने पर अधिकारप्रदत्त समिति बैठक में इकाई के प्रकरण पर विचार कर पुनर्जीवन पैकेज के संबंध में अन्तिम निर्णय लेगी।

3.8.7 आदेश जारी करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण (Time frame for issuance of orders)

बीमार इकाई के पुनर्जीवन पैकेज से संबंधित राज्य शासन के विभाग एवं अन्य संस्थाएं बीमार इकाई को विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारप्रदत्त समिति के निर्णयानुसार राहतें स्वीकृत करेंगी। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इकाई को स्वीकृत राहतें/सुविधाओं संबंधी अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में स्वमेव स्वीकृति दी गई, ऐसा मान्य किया जाएगा।

3.8.8 वित्तीय परित्याग का परिमाण (Quantum of Financial Sacrifice)

पुनर्जीवन पैकेज का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि राज्य शासन/मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय परित्याग की राशि, वित्तीय संस्था/बैंक के द्वारा किये जाने वाले वित्तीय परित्याग से अधिक नहीं हो। यह शर्त उस इकाई के प्रकरण में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा

राज्य शासन को वर्तमान पैकेज में सहायता के लिये अनुरोध किये जाने के दिनांक तक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई हो। वित्तीय परित्याग की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

- इकाई को किश्तों में एरियर भुगतान की सुविधा के लिये राज्य शासन द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज दर मान्य किया जाएगा। राज्य शासन साधारणतः एरियर्स की वसूली दाण्डिक ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर करती है अतः दोनों ब्याज दरों में अन्तर अर्थात 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर राज्य शासन की ओर से वित्तीय त्याग माना जाएगा।
- मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राहत एवं छूट मुक्ति के रूप में होगी, उदाहरणस्वरूप विद्युत विच्छेद बिलों की अदायगी न करने के कारण अथवा एक तरफा अनुबंध के विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण नवीन सुरक्षा राशि जमा करने से एवं बन्द अवधि के न्यूनतम प्रभार से छूट रहेगी।
- ऐसे प्रकरणों में मुक्ति सुविधा के रूप में दी जा रही जमा सुरक्षा राशि/न्यूनतम प्रभार का कुल योग एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जिसकी गणना जमा राशि के भुगतान दिनांक से पुनर्जीवन पैकेज की समाप्ति के दिनांक तक होगी, को परित्याग की राशि माना जाएगा।

3.8.9 राहत देने हेतु शर्तें एवं निबंधन (Terms and Conditions for Grant of Relief)

अ. अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली इकाई की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी, जो वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त होगी। पुनर्जीवन अवधि में इकाई को अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से लेखा परीक्षण कराना होगा। ऐसी इकाईयां जो इस योजनान्तर्गत राहत प्राप्त करेंगी, न तो डिवीडेण्ड घोषित करेंगी और न ही पुनर्जीवन पैकेज के कार्यकाल में प्रमोटर्स द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज ही देंगी।

ब. इस योजनान्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रही औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियंत्रण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित मापदण्ड अनुसार प्रभावी कदम लेगी एवं इसका संचालन चालू हालत में बनाये रखेगी।

स. औद्योगिक इकाई कम से कम योजनान्तर्गत दी गई पुनर्जीवन अवधि के समाप्त होने तक लगातार उत्पादनरत् रहेगी।

द. औद्योगिक इकाई राज्य शासन द्वारा एवं अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा समय-समय पर चाहे जाने पर अपने उत्पादन, रोजगार एवं अन्य जानकारी के विस्तृत विवरण उपलब्ध करायेगी।